न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 50 / 2007

1 रामकरण पुत्र नाथाराम
2 ताराचन्द पूत्र नाथाराम
3 श्रीमती प्रेमदेवी स्त्री ताराचन्द जाति जाटान निवासी अलीपुरियों की ढाणी तन लिखवा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू।

अपीलांट

बनाम

1 मृतक जुगलाल पुत्र बुद्धराम जाति जाट निवासी श्योसिंहपुरा व निवासी लिखवा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू – दौराने अपील दिनांक 09.06.2007 को देहान्त हो गया।
1/1 श्रीमती सरबती पत्नी रोहताश
1/2 श्रीमती किताबो पत्नी देवकरण पुत्रीयां स्व. बुद्धराम जाति जाट निवासी हमीनपुर तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू।
1/3 श्रीमती सुन्दर पत्नी हरिसिंह
1/4 श्रीमती पतासी पत्नी विद्याधर पुत्रीयां स्व. बुद्धराम जाति जाट निवासी गोविन्दसिंह का बास तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू।
2 रामसिंह पुत्र स्व. बुद्धराम जाति जाट निवासी श्योसिंहपुरा व निवासी लिखवा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू। नाम हजफ – नोट अपील के दौरान देहान्त
3 गुलझारीलाल पुत्र स्व. बुद्धराम
4 प्रताप सिंह पुत्र स्व. बुद्धराम
5 बलवीर सिंह पुत्र स्व. बुद्धराम
जाति जाट निवासी श्योसिंहपुरा व निवासी लिखवा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर- (कैम्प झुन्झुनूँ)

6 अनिल कुमार पुत्र रामजीलाल
7 विजय कुमार पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी श्योसिंहपुरा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू। जरिये वलिया कुदरती श्रीमती ओमपति पत्नी रामजीलाल जाति जाट निवासी श्योसिंहपुरा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू।
8 राजस्थान सरकार भूमि अधिकारी जरिये तहसीलदार हाल सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रथम अपील खिलाफ निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा दिनांक 26.04.2007 दावा उनवानी जुगलाल बनाम रामकरण वगैरह दावा बेदखली, घोषणा दावा संख्या 106/2004

उपस्थिति :

1. श्री संदीप काजला, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री मुस्ताक अली खां, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 9.7.24

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर- (कैम्प झुन्झुनूँ)

3

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा द्वारा मुकदमा नम्बर 106/2004 में पारित निर्णय दिनांक 26.04.2007 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 वादी ने रेस्पोडेन्टस नम्बर 2 से 8 को प्रतिवादीगण नम्बर 3 से 9 पक्षकार बनाकर अपीलान्टस प्रतिवादीगण नम्बर 1 व 2 व 10 के खिलाफ जमीन गत खसरा नम्बर 382/1 मिन हाल खसरा नम्बर 275 रकबा 3.46 हैक्टेयर वाके ग्राम लिखवा के बाबत घोषणा व बेदखली का दावा किया। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा ने निर्णय व डिक्री दिनांक 26.04.2007 से जमीन खसरा नम्बर 275 के बाबत खातेदारी घोषित कर खसरा नम्बर 275 रकबा 0.25 हैक्टेयर पर अपीलान्टस नम्बर 1 व 2 प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 का अतिक्रमण मानकर बेदखल किये जाने की डिक्री पारित की। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विवाद बिन्दु संख्या 1 जमीन गत खसरा नम्बर 275 रकबा 3.46 हैक्टेयर पर कब्जे के बाबत भी है। इस कारण विवाद बिन्दु संख्या 1 व 2 का निर्णय परस्पर विरोधी है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 वादी ने खसरा नम्बर 382/1 रकबा 23 बीघा 4 बिश्वा में से 13 बीघा 4 बिश्वा जमीन बुद्धराम के द्वारा क्रय करने का कथन किया है लेकिन दावे में यह दर्ज नहीं किया कि गत खसरा नम्बर 382/1 में से किस दिशा की जमीन खरीदी गई । रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 वादी ने यह भी दावे में दर्ज नहीं कि खसरा नम्बर 275 में से 0.25 हैक्टेयर किस भाग की कितनी लम्बी चौड़ी पर अतिक्रमण किया गया। इस कारण बेदखली के बाबत प्रभावित डिक्री जारी नहीं हो सकती क्योंकि निर्णय व डिक्री में यह अंकित नहीं है कि खसरा नम्बर 275 में से 0.25 हैक्टेयर कौनसी जमीन है जिस पर से कब्जा अपीलान्टस नम्बर 1 व 2 का हटाना है यह भी दर्ज नहीं है कि खसरा नम्बर 275 के दक्षिणी पूर्वी कोने की जमीन है या दक्षिणी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर- (कैम्प झुन्झुनूं)

पश्चिमी कोने की जमीन है। खसरा नम्बर 275 में से 0.25 हैक्टेयर जमीन के बाबत स्पष्ट तथ्य दर्ज होने से इस जमीन के बेदखली के बिनाय मुखालफत दर्ज नहीं है। प्रदर्श 1 व प्रदर्श 2 न तो असल तलब करवाये गये और न ही द्वितीय साक्ष्य की अनुमति ली गई। प्रदर्श 1 व प्रदर्श 2 बनाने वाले को पेश नहीं किया गया। अपीलान्ट की मौजुदगी में नपती नहीं की गई। न्यायालय द्वारा नपती के लिये कमिश्नर नियुक्त नहीं किया गया। प्रदर्श 1 व प्रदर्श 2 को साक्ष्य में स्वीकार नहीं किया जा सकता व न साक्ष्य में साबित है। इस प्रकार विवाद बिन्दु संख्या 2 वादी के हक में तय करने में भुल की गई व विवाद बिन्दु संख्या 3 अपीलान्टस के खिलाफ तय करने में भुल की गई है। विवाद बिन्दु संख्या 7 अपीलान्टस के खिलाफ तय करने में भुल की गई है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 वादी यह साबित नही कर पाया कि अतिक्रमण कब व कैसे किया गया। जबकि उसका कथन है जमीन खरीदी तब कदमों से नाप कर के कब्जा लिया था। नपती नहीं करवायी थी। जमीन खरीदना सन् 1964 में बताया है। इस प्रकार दावा अन्दर मियाद कैसे है। इसका दावे में अंकन नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने पत्रावली में प्रस्तुत साक्ष्य का विधि अनुसार विवेचन किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। अपील स्वीकार कर विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाकर वाद वादी खारिज किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि जमाबन्दी सम्वत् 2054 से 2057 (प्रदर्श–5) हाल खसरा नम्बर 275 रकबा 3.46 हैक्टेयर की खातेदारी वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 8 के पूर्वज बुद्धराम के नाम दर्ज है जिसकी ताईद में वादी ने बयान भी करवाये। यह बिन्दु निर्विवाद है। अतः यह उक्त आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण 3 लगायत 8 की पैतृक सम्पत्ति होना प्रमाणित होता है। विवादित भूमि खसरा नम्बर 275 रकबा 0.25 हैक्टेयर प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 ने अपने खेत खसरा नम्बर 283 में मिला लिया गया है। नकल नपती रिपोर्ट भू.अ.नि, पटवारी हल्का दिनांक 25.04.1992 (प्रदर्श–1)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर- (कैम्प झुन्झुनूँ)

के अनुसार मौके पर विवादित भूमि की नपती करने पर खसरा नम्बर 275 का रकबा नपती करने पर मौके पर 3.21 हैक्टेयर आया, जबकि रिकार्ड में उक्त खसरा नम्बर का रकबा 3.46 हैक्टेयर है 0.25 हैक्टेयर रकबा कम पाया गया। प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 के खेत खसरा नम्बर 283 की पैमाईश की गई, जिसका रकबा 2.64 हैक्टेयर आया 0.25 हैक्टेयर मौके पर अधिक है। नक्श व माप के मुताबिक मौके पर खसरा नम्बर 275 की भूमि 0.25 हैक्टेयर कम है व खसरा नम्बर 283 की 0.25 हैक्टेयर अधिक है जो दुरूस्ती योग्य है। नपती रिपोर्ट पर जुगलसिंह, रिछपाल व रामसिंह के हस्ताक्षर है। वादी ने अपने वाद की पुष्टि में बयानात गवाह पी.डब्ल्यू 1, 2 व 3 के कलमबद्ध करवाये। रिपोर्ट भू.अ. निरीक्षक, पटवारी फर्द मौका दिनांक 25.04.1992 प्रदर्श–1 का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत दस्तावेजात से यह संदेह से परे साबित होता है कि वादी की भूमि खसरा नम्बर 275 का रकबा 0.25 हैक्टेयर प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 ने अपने खेत खसरा नम्बर 283 में अतिक्रमण करके शामिल कर लिया है। वादी अधिकारी है कि यह प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 को 0.25 हैक्टेयर से बेदखल करवाये। वादी का दावा घोषणा व बेदखली है। घोषणा के वाद मे कोई मियाद नहीं होती है। विचारण न्यायालय ने पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य का तनकीवार विवेचन कर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि जमाबन्दी सम्वत् 2054 से 2057 (प्रदर्श–5) हाल खसरा नम्बर 275 रकबा 3.46 हैक्टेयर की खातेदारी वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 8 के पूर्वज बुद्धराम के नाम दर्ज है जिसकी ताईद में वादी ने बयान भी करवाये। यह बिन्दु निर्विवाद है। अतः यह उक्त आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण 3 लगायत 8 की पैतृक सम्पत्ति होना प्रमाणित होता है। विवादित भूमि खसरा नम्बर 275 रकबा 0.25 हैक्टेयर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर- (कैम्प झुन्झुनूं)

प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 ने अपने खेत खसरा नम्बर 283 में मिला लिया गया है। नकल नपती रिपोर्ट भू.अ.नि, पटवारी हल्का दिनांक 25.04.1992 (प्रदर्श-1) के अनुसार मौके पर विवादित भूमि की नपती करने पर खसरा नम्बर 275 का रकबा नपती करने पर मौके पर 3.21 हैक्टेयर आया, जबकि रिकार्ड में उक्त खसरा नम्बर का रकबा 3.46 हैक्टेयर है 0.25 हैक्टेयर रकबा कम पाया गया। प्रतिवादी नम्बर 1 व.2 के खेत खसरा नम्बर 283 की पैमाईश की गई, जिसका रकबा 2.64 हैक्टेयर आया 0.25 हैक्टेयर मौके पर अधिक है। नक्श व माप के मुताबिक मौके पर खसरा नम्बर 275 की भूमि 0.25 हैक्टेयर कम है व खसरा नम्बर 283 की 0.25 हैक्टेयर अधिक है जो दुरूस्ती योग्य है। नपती रिपोर्ट पर जुगलसिंह, रिछपाल व रामसिंह के हस्ताक्षर है। वादी ने अपने वाद की पुष्टि में बयानात गवाह पी.डब्ल्यू 1, 2 व 3 के कलमबद्ध करवाये। रिपोर्ट भू.अ. निरीक्षक, पटवारी फर्द मौका दिनांक 25.04.1992 प्रदर्श-1 का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत दस्तावेजात से यह संदेह से परे साबित हेाता है कि वादी की भूमि खसरा नम्बर 275 का रकबा 0.25 हैक्टेयर प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 ने अपने खेत खसरा नम्बर 283 में अतिक्रमण करके शामिल कर लिया है। वादी अधिकारी है कि यह प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 को 0.25 हैक्टेयर से बेदखल करवाये। वादी का दावा घोषणा व बेदखली है। घोषणा के वाद मे कोई मियाद नहीं होती है। विचारण न्यायालय ने पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य का तनकीवार विवेचन कर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 9.7.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर- (कैम्प झुन्झुनू)

(बलदेवाराम धोजक)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर